

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endt No.....*C/1811*...../ Jabalpur, dated ...*18*...../04/2019.
III-6-4/10

The copy of the Notification No. 17(E)/44/2013/21-B(1)/1972/19 dated 09-04-2019 issued by the State Government, Department of Law & Legislative Affairs, Bhopal, is forwarded to:-

01. The District & Sessions Judges,
02. The District & Sessions Judge (Vigilance), Jabalpur / Indore / Gwalior;
03. The Registrar, High Court of Madhya Pradesh; Bench at Indore/Gwalior
04. Registrar (J.)/(D.E.)/(A)/(Vig.)/(Vl.)/(A.W.), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
05. Shri/Smt
06. P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for placing the matter before h His Lordship;
07. P.S. to Registrar General/Registrar(Judl)/ Registrar (I & V)/V II/ Registrar(Examination)/ Registrar (I. L. R.) /OSD-(DE) High court of Madhya Pradesh Jabalpur
08. P.A. to Director/Additional Director, M.P. State Judicial Acadamey, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
09. D.R. Confdl/S.O.(Checker/W.S./Budget, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
10. Computer Operater, Confidential Section, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
11. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/ orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.

For information and appropriate action.


(B.P.SHARMA)
REGISTRAR (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 09/04/2019

फा.क्रमांक 17(ई) 44/2013/21-ब(एक)/1972/19.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 5, 7, 17, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 37, 38, 44, 45, 46 तथा 47 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
5.	भोपाल	श्री राजेन्द्र चौरसिया, सोलहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल
7.	छिंदवाड़ा	श्री अरविंद कुमार गोयल, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिंदवाड़ा
17.	इन्दौर	श्री राकेश बंसल, अठारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर
18.	जबलपुर	श्री अनिल कुमार पाठक, सातवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर
21.	मंडला	श्री राम प्रताप सिंह, विशेष न्यायाधीश, मंडला
22.	मंदसौर	श्री जयंत शर्मा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर
24.	नरसिंहपुर	श्री संजय कुमार गुप्ता (जून.), द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर
29.	रतलाम	श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम
30.	रीवा	श्री तेजेंद्र सिंह अजमानी, पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा
31.	सागर	श्रीमती दीपाली शर्मा, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सागर
37.	श्यापुर	श्री रविन्द्र सिंह, विशेष न्यायाधीश, श्यापुर
38.	शिवपुरी	श्री राम प्रताप मिश्रा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी
44.	मंडलेश्वर (पश्चिमी निमाड़)	श्री अरूण कुमार खराड़ी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंडलेश्वर (पश्चिमी निमाड़)

45.	अलीराजपुर	श्री रवि झारोला, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर
46.	अनूपपुर	श्री राजेश कुमार अग्रवाल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर
47.	अशोकनगर	श्री अखिलेश जोशी, सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

NOTIFICATION

F-No. 17(E)/44/2013/21-B(One)1972/2019.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013. Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 5, 7, 17, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 37, 38, 44, 45, 46 and 47 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S.No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
5.	Bhopal	Shri Rajendra Chourasia, XVth Additional Sessions Judge, Bhopal
7.	Chhindwara	Shri Arvind Kumar Goyal, IIIrd Additional Sessions Judge, Chhindwara
17.	Indore	Shri Rakesh Bansal, XVIIIth Additional Sessions Judge, Indore
18.	Jabalpur	Shri Anil Kumar Pathak VIIth Additional Sessions Judge, Jabalpur
21.	Mandla	Shri Ram Pratap Singh, Special Judge, Mandla
22.	Mandsaur	Shri Jayant Sharma, IVth Additional Sessions Judge, Mandsaur
24.	Narsinghpur	Shri Sanjay Kumar Gupta (Jr.), IInd Additional Sessions Judge, Narsinghpur
29.	Ratlam	Shri Vivek Kumar Shrivastava, IIIrd Additional Sessions Judge, Ratlam
30.	Rewa	Shri Tejinder Singh Azmani, Vth Additional Sessions Judge, Rewa
31.	Sagar	Smt. Deepali Sharma, IIIrd Additional Sessions Judge, Sagar
37.	Sheopur	Shri Ravinder Singh, Special Judge, Sheopur
38.	Shivpuri	Shri Ram Pratap Mishra, IVth Additional Sessions Judge, Shivpuri
44.	Mandleshwar (West Nimar)	Shri Arun Kumar Kharadi, IInd Additional Sessions Judge, Mandleshwar (West Nimar)

45.	Alirazpur	Shri Ravi Jharola, Ist Additional Sessions Judge, Alirazpur
46.	Anoppur	Shri Rajesh Kumar Agrawal, Ist Additional Sessions Judge, Anoppur
47.	Ashoknagar	Shri Akhilesh Joshi, Special Judge, Ashoknagar."

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

✓ (सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र० 17(ई) 44 / 2013 / 21-ब(एक)1972 / 2019, भोपाल, दिनांक. 09 / 04 / 2019
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक B/1835/III-6-4/10, दिनांक 25.03.2019 के संदर्भ में,
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, भोपाल, छिंदवाडा, इन्दौर, जबलपुर, मंडला, मंदसौर, नरसिंहपुर, रतलाम, रीवा, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, एवं मंडलेश्वर(पश्चिमी निमाड) म.प्र., की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

✓ (रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन)
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 09 / 04 / 2019

फा. क्रमांक 1-1-88/21-ब(एक)/1971/2019, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का. 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में, दिनांक 6 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 25 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :-

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
"25.	सेशन न्यायाधीश, कटनी	कटनी"

NOTIFICATION

F-No-1-1-88/21-B(1)/1971/2019- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F.No-1-1-88/ XXI-B(1), dated 24th October, 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 6th November, 2009, namely:-

Amendment

In the said notification, in the Schedule, for serial number 25 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

//2//

TABLE

S.No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
"25.	Sessions Judge, Katni	Katni."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

५ (सत्येन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्रमांक 1-1-88/21-ब(एक)/1971/19, भोपाल, दिनांक 09/04/2019.

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, के पत्र क्र. B/1809/III-6-4/57, दिनांक 23.03.2019, के संदर्भ में,
2. महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल,
3. महानिदेशक, मध्यप्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी
5. उप नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय, म.प्र. (राजपत्र भाग-1) में प्रकाशनार्थ प्रेषित,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

५ (रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग